UPAG010040782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–331/2026

विजय पाटनी उर्फ टोनी बनाम राज्य एवं अन्य

दिनांकः–07.07.2026

आज यह पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत दिनांक पर प्रार्थनापत्र 3ब पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक व विपक्षिया संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है, आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक विजय पाटनी उर्फ टोनी की ओर से प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–02, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–11061/2025 अंजना जैन प्रति विजय पाटनी उर्फ टौनी, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले में पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 के माध्यम से आवेदक को जरिए समन तलब किया गया है। आवेदक को उक्त परिवाद की जानकारी दिनांक 05.04.2026 को हुई। पुलिस द्वारा आवेदक को फोन पर सूचना दी गई कि उसके विरुद्ध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का मुकदमा है। तत्पश्चात आवेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से सवाल नकल हेतु लगाया गया तब आवेदक को मुकदमे की पूर्ण जानकारी हुई। निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गई है। समर्थन में शपथपत्र 4ब प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षिया संख्या–2 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, अपितु मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 के विरूद्ध यह कालबाधित निगरानी, प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ, दिनांक 13.04.2026 को योजित की गई है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक द्वारा दिनांक 06.04.2026 को प्रश्नगत आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया जो उसे दिनांक 08.04.2026 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात दिनांक 13.04.2026 को लगभग तीन माह के विलम्ब से निगरानी मय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गई। निगरानी विलम्ब से योजित करने का यह कारण दर्शित किया गया है कि आवेदक को प्रश्नगत परिवाद की जानकारी दिनांक 05.04.2026 को पुलिस के द्वारा फोन पर सूचना देने पर हुई। तत्पश्चात अधिवक्ता के माध्यम से आलोच्य आदेश की

प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर मामले की जानकारी हुई, जिस कारण समयावधि में प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध निगरानी योजित नहीं कर सका।

यह निर्विवादित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 08.04.2026 को प्राप्त की गई थी, तथापि वर्तमान निगरानी दिनांक 13.04.2026 को प्रश्नगत आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात भी लगभग 05 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। उक्त अवधि के विलम्ब के संबंध में आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र अथवा शपथपत्र में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आवेदक द्वारा विलम्ब के प्रत्येक दिवस का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षिया संख्या–2 की ओर से कोई लिखित आपत्ति अथवा प्रति–शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस स्तर पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र 4ब के कथन अखण्डनीय हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **M/S Raghu Forwarding and others versus Union of India 2002 (49) ALR 667 (Allahabad),** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब माफ करने के सम्बन्ध में न्यायालय को बहुत तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाते हुए, उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि सिद्धान्त के आलोक में प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मु0–1,000/–रु0 (एक हजार रुपये) हर्जे की अदायगी की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा एक सप्ताह के भीतर अदा हो जाने की दशा में ही परिवाद संख्या–11061/2025 अंजना जैन प्रति विजय पाटनी उर्फ टौनी, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना–छत्ता, आगरा के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 के विरूद्ध निगरानी योजित करने में हुई देरी को क्षमा समझा जायेगा।

यह प्रकीर्ण वाद तद्नुरूप अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

आवश्यक कार्यालय प्रतिपूर्तियों के उपरान्त दाण्डिक निगरानी की पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.2026 को पेश हो। इस प्रकीर्ण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक : 07.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.07 16:55:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court